

37

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-374/2018

1. जसविन्द्र कौर पत्नी सुच्चासिंह पुत्री ज्ञानसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नं. 11 बशीर तहसील टिब्बी ।
-वादीया

- बनाम्
1. ज्ञानसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।
 2. सर्वजीत कौर पत्नी जरनैलसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी फतेहपुर तहसील टिब्बी ।
 3. रजवन्त कौर पत्नी बलवन्तसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी बेहाक फत्तू तहसील व जिला फिरोजपुर ।
 4. जसविन्द्र कौर पत्नी सरदूलसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नं. 7 सूरेवाला तहसील टिब्बी ।
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नरेन्द्र पाल वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज आराजी वाके चक नम्बर 10 एफटीपी के खाता संख्या 101/119 जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के प.नं. 201/244 मु.नं. 46 के कि.नं.8 ता 14,15/.215,16/.131 है. कृषि भूमि वादीया को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर चक नं.10 एफटीपी के खाता संख्या 101/119 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक १००/१००.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....३.३.१९.१८.....को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी